कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ–ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. 492002

क्रमांक / 1785 / छात्र / काउंसिलिंग / संचिशि / 2026 रायपुर, दिनांक 13 / 11 / 2026

// छत्तीसगढ़ राज्य, प्रवेश वर्ष 2026 हेतु NEET UG (एम.बी.बी.एस. / बी.डी.एस.) पाठ्यक्रम की स्पेशल स्ट्रे वेकेंसी राउण्ड –2 काउंसिलिंग आवंटन सूचना //

छत्तीसगढ़ राज्य, प्रवेश वर्ष 2026 हेतु NEET UG (एम.बी.बी.एस. / बी.डी.एस.) पाठ्यक्रम की स्पेशल स्ट्रे वेकेंसी राउण्ड काउंसिलिंग के आवंटन में प्रवेश उपरांत रिक्त रह गई सीटों पर प्रवेश हेतु आज दिनांक **13.11.2026** को स्पेशल स्ट्रे वेकेंसी राउण्ड–2 काउंसिलिंग के लिए आवंटन सूची जारी की गई है, इसके तहत रिपोर्टिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया निम्न समय–सारणी के अनुसार आयोजित की जाएगी : –

रिपोर्टिंग एवं प्रवेश हेतु समय–सारिणी

क्र.	प्रक्रिया का विवरण	विवरण
1	एमबीबीएस की सीट पर आवंटित अभ्यर्थियों हेतु रिपोर्टिंग स्थान	पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
2	बीडीएस की सीट पर आवंटित अभ्यर्थियों हेतु रिपोर्टिंग स्थान	शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर छ.ग.
3	रिपोर्टिंग हेतु दिनांक एवं समय (Physical Mode/Offline Mode)	दिनांक 14 नवम्बर 2026 समय **Server Time 11:00 Hrs** (11:00 AM) से दिनांक 16 नवम्बर 2026 समय **Server Time 16:00 Hrs** (04:00 PM) तक
4	प्रवेश हेतु दिनांक एवं समय (Physical Mode/Offline Mode)	दिनांक 14 नवम्बर 2026 समय **Server Time 11:00 Hrs** (11:00 AM) से दिनांक 16 नवम्बर 2026 समय **Server Time 17:00 Hrs** (05:00 PM) तक

महत्वपूर्ण निर्देश :–

1. **समयाभाव को ध्यान में रखते हुए, स्पेशल स्ट्रे वेकेंसी राउण्ड –2 में आवंटित अभ्यर्थी को यह सुविधा प्रदान की जाती है कि वे अपने आवंटित महाविद्यालय का शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) किसी भी उपलब्ध भुगतान माध्यम – RTGS, NEFT, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड तथा अन्य ऑनलाइन भुगतान विकल्पों के माध्यम से जमा कर सकते हैं।**

2. **छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातक प्रवेश नियम, 2025 का अवलोकन कर ही, स्क्रूटनी एवं प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ करें, ताकि प्रवेश संबंधी जटिलताओं से सुरक्षित रहें।**

3. स्पेशल स्ट्रे वेकेंसी राउण्ड –2 काउंसिलिंग में आवंटित अभ्यर्थी को आवंटित संस्था में प्रवेश के समय बैंक गारंटी प्रस्तुत करने हेतु शपथ पत्र के आधार पर भी प्रवेश दिया जा सकेगा। इसके लिए अभ्यर्थी को शपथ पत्र के साथ निम्न में से कोई एक दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा – चेक, फिक्स्ड डिपॉजिट की कॉपी, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक द्वारा जारी प्रमाण पत्र कि बैंक गारंटी 'अंडर प्रोसेस' है अथवा बैंक का कोई उपयुक्त दस्तावेज जिससे यह प्रमाणित हो कि अभ्यर्थी ने बैंक गारंटी हेतु आवेदन किया है और प्रक्रिया जारी है।

क्रमश––2––

Scanned with OKEN Scanner

यदि अभ्यर्थी उपर्युक्त में से कोई भी दस्तावेज निर्धारित तिथि तक उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।

4. **<u>सभी शासकीय/निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय का आवंटन कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा गठित काउंसिलिंग समिति द्वारा किया जाता है, अतः किसी व्यक्ति/संस्था के प्रवेश दिलवाने संबंधित धोखे में नहीं फंसे।</u>**

(आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

13/11/26

अध्यक्ष,
काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग

पृ. क्रमांक/1786 /छात्र/काउंसिलिंग/संचिशि/2026 रायपुर, दिनांक 13/11/2026

प्रतिलिपि :–

1. कुलसचिव, पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान और आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, उपरवारा नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
2. अधिष्ठाता, पं. जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु ई–मेल से प्रेषित।
3. अधिष्ठाता, संबंधित निजी चिकित्सा महाविद्यालय छ0ग0 की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु ई–मेल से प्रेषित।
4. प्राचार्य, शासकीय दंत चिकि0 महाविद्यालय रायपुर एवं निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय छ0ग0 की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु ई–मेल से प्रेषित।

<u>संबंधित निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय तदनुसार स्क्रूटनी स्थल पर अपने अधिकृत अधिकारियों एवं कर्मचारियो की व्यवस्था कर, प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करायें।</u>

अध्यक्ष,
काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.

Scanned with OKEN Scanner